THROUGH E-TENDER

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

OFFICE OF THE CHIEF MANAGER RSRTC CENTRAL BUS STAND JAIPUR

Mobile No.09549653260 Email:-rsrtc.cmcbs@yahoo.com

NIB NO. RSRTC/CM/CBSJPR/2026 /667 **Date: 05.05.2026**

E-NOTICE INVITING BID

Online tender invited for cleaning work at rsrtc cbs jaipur as per details given below: -

S. No	Group of Work	Eligibility of firms	Estimated value of Work Rs.	Cost of tender Documents including GST (not refundable) Rs.	Tender Processing Fee including GST (not refundable) Rs.	Bid Security Rs.	Pre-bid meeting date and Last date of tender submission Opening date of Technical bid.
1	cleaning of new building at cbs jaipur	Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and one year relevent work experience	4.80 Lakh	1180/-	500/-	9600/-	11.05.2026 13.00 Hrs 18.05.2026 16.00 Hrs. 19.05.2026 10.00 AM

NOTE: The tender period is 8 months.

If any holiday comes on above dates then next working date will be treated for the same. For tendering process bidder shall obtain the user ID and password for participating in e-tendering system through website **https://eproc.rajasthan.gov.in** or from e-procurement cell RISL, YojanaBhawan ,Tilak Marg, C- Scheme , Jaipur and contact on (Help Desk be contacted directly in the following mobile nos. **0120-4200462, 0120-4001002 , 91-8826246593.** 10.00 AM to 06.00 PM on all working days).The help desk can also be reached by mail support-eproc@gov.in

NOTE:-

1. The detailed notification/tender documents can be downloaded from website **https://eproc.rajasthan.gov.in** Details of this tender notification and pre-qualification criteria can also be seen in NIT exhibited on website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also**https://sppp.raj.nic.in** Tenders are to be submitted online in electronic format on website **https://eproc.rajasthan.gov.in**
2. Corrigendum's/ modifications/ corrections if any will be published on the website**https:// eproc.rajasthan.gov.in**
3. Conditional / incomplete tender will be rejected.

4. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on **https://eproc.rajasthan.gov.in** (Bidders registered on **https://eproc.rajasthan.gov.in** before request of tender documents. To participate in online tenders Bidders will have to procure digital signature certificate (type II or type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their Electronic Bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency i.e. TCS safecrypt, Ncodeetc or they may contact e-procurement cell, Department of IT & c, government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not procure a new Digital Certificate.
5. Bidders shall submit their offer online in Electronic formats both or technical and financial proposal, however Demand Draft for Tender Fees, Processing fees and bid security should be submitted manually or through courier in the office of Chief Manager, rsrtc central bus stand Jaipur before last date & time of opening of technical /price bid and scanned copy of Demand Draft should also be uploaded along with the online bid.
6. The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning reasons thereof. The quantity of works can be increased or decreased without assigning any reasons.
7. RSRTC reserves the right for verification of any information / documents furnished by the bidder in the interest of the corporation.
8. Bid security in the shape of demand draft payable to "CM RSRTC CBS JAIPUR " should be submitted before opening of bid.
9. Tender fee in the shape of demand draft payable to CM RSRTC CBS JAIPUR, Jaipur should be submitted before opening of bid.
10. Before electronically submitting the tenders it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tendered.
11. Training for the Bidders on the usage of e-tendering system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested on training may contact e-procurement cell RISL for booking the training slot.
12. Bidders are also advised to refer “Bidders manual” available under “downloads” section for further details about the e-tendering process.

Tender documents can be downloaded from online website **https://eproc.rajasthan.gov.in** If Tendered wish to participate in the tender then they have to make a payment of Tender Processing Fee as mentioned in the above table in form of Demand Draft in favour of “ Managing Director, RISL through courier or by personnel one day before the last date and time of the request of tender documents and also tender document fee, bid security which is mentioned in the above table be submitted to RSRTC in the form DD in favour of “CM RSRTC CBS JAIPUR” payable at “Jaipur” for tender document fee and in favour of “CM RSRTC CBS JAIPUR” payable at “Jaipur”for bid securityand be delivered to the under signed one day before last date and time of the submission of the tender. If any bidder wishes he can forward/submit hard copy of the offer also but soft copy of tender documents is mandatory hard copy of financial bid will not be accepted.

For further details you can visit online website **https://eproc.rajasthan.gov.in** or from e-procurement cell RISL, YojanaBhawan ,Tilak Marg, C- Scheme , Jaipur-302005 and contact on (Help Desk be contacted directly in the following mobile nos. **0120-4200462, 0120-4001002 , 91-8826246593.** 10.00 AM to 06.00 PM on all working days).The help desk can also be reached by mail support-eproc@gov.in.

Chief Manager

<u>तकनिकी निविदा आवेदन</u>

(Technical Bid Application)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सी.बी.एस. आगार,जयपुर

क्रमांक :– दिनांकः

मुख्य प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम ,
सी.बी.एस. आगार जयपुर,

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि सी.बी.एस. आगार जयपुर, स्थित नवनिर्मित भवन में साफ–सफाई कार्य करने बाबत्।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि सी.बी.एस. आगार जयपुर, स्थित नवनिर्मित भवन में साफ–सफाई कार्य करवाने के सम्बंध में लोकप्रिय समाचार पत्र ....दिनांक ....में व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली प्रपत्र की फीस राशि 1180/–(नान रिफण्डेबल) रसीद संख्या/डी.डी संख्या ....दिनांक ....

<u>सामान्य विवरण</u>

1	फर्म/कम्पनी/का नाम	
2	फर्म/कम्पनी/ का स्थाई पता	
3	फर्म/कम्पनी/ का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई–मेल	
4	फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता	
5	फर्म/कम्पनी का ई–मेल आई.डी	
6	फर्म/कम्पनी/ का जी.एस.टी. नम्बर	
7	फर्म/कम्पनी/ का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
8	फर्म/कम्पनी के द्वारा फार्म हेतु निगम कोष (मुख्य प्रबंधक , सी.बी.एस. आगार जयपुर) में जमा करायी राशि 1180/ रुपये कि रसीद/ डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	डी.डी. नम्बर व दिनांक निविदा सुरक्षा राशि 9600/– (CM ,RSRTC CBS JAIPUR)	

1. कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैः–

क्र.स.	कार्य का नाम	कुल लागत
I	नवनिर्मित भवन(प्लेटफार्म नम्बर 01) के सम्पूर्ण भवन परिसर पर स्थित प्लेटफार्म, भवन के चारों तरफ स्थित बरामदें, गलियारें, चारों तरफ का सड़क मार्ग, भवन का भू–तल पर स्थित समस्त बुकिंग घर, समस्त प्रवेश एवम् निकास द्वार, प्रतिक्षालय हॉल, वी.वी.आई.पी हॉल, समस्त शौचालय–मुत्रालय, नवनिर्मित भवन की समस्त नालियों, ड्रेनेज सिस्टम, भवन के समस्त कांच के दरवाजों, शीशे, समस्त पीलर, भवन के द्वितीय तल पर स्थित रूफ टॉप, भवन की छत की साफ–सफाई व्यवस्था मशीन एवम् वैक्यूम क्लीनर के द्वारा एवम् जहॉ मशीन एवम् वैक्यूम क्लीनर द्वारा सफाई नहीं कि जा सकती है वहॉ सफाई कर्मचारी लगाकर सफाई कार्य करवाया जायेगा। साफ–सफाई कार्य तीनो पारियो में किया जायेगा। जिसके लिये तीनो पारियो में पर्याप्त मशीन एवम् सफाई अनुरूप कर्मचारी कार्यरत रहेंगें।	480000
	कुल	480000 / –

2. पात्रता व मूल्याकंन मापदण्ड (Eligibility and Evaluation Criteria)

(i) सेवा प्रदाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड (Eligibility criteria for service provider)

सेवा प्रदाता का वार्षिक टर्नओवर इस निविदा की लागत के बराबर या अधिक होना चाहिए एंव जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा सेवाप्रदाता के पास सम्बंधित निविदा में कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का उचित अनुभव होना चाहिए।

(ii) मूल्याकंन मापदण्ड (Evaluation Criteria)

वितीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्याकंन का मापदण्ड होगी।

3. निविदादाताओ को निर्देश (Instruction to bidder)

(I) प्री–बिड मिटींग (Pre bid Meeting)

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्री–बिड मिटींग का आयोजन मुख्य प्रबंधक , सी. बी.एस. आगार जयपुर में किया जावेगा । प्री–बिड मिटींग में शामिल होने वाली फर्म को टेण्डर फीस रुपये 1180 नगद जमा की रसीद साथ लेकर आना होगा । बिना टेण्डर फीस के प्री–बिड मिटींग में शामिल नही किया जावेगा।

(II) निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)

सफल निविदा दाता को टेण्डर की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत राशि सुरक्षा राशि के रुप में निम्नानुसार जमा करानी होगी।

(i). डी.डी. (CM ,RSRTC CBS JAIPUR) अथवा

(ii). बैक गारण्टी

निष्पादन सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के 03 माह पश्चात लोटाई जावेगी। निष्पादन सुरक्षा राशी पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(iii). यदि फर्म द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारभं/अनुबधं नही किया जाता है। तो बिड सुरक्षा राशि/ निष्पादन सुरक्षा राशि (जो भी लागु हो) जब्त कर ली जावेगी।

(III) निविदा सुरक्षा (Bid Security)

निविदादाताओ को टेण्डर की अनुमानित कीमत का 2 प्रतिशत राशि निविदा सुरक्षा के रुप मे निम्नानुसार जमा करानी होगी।

(i). डी.डी. (CM ,RSRTC CBS JAIPUR) अथवा

(ii). .बैक गारण्टी

निविदा सुरक्षा राशि ,निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध पत्र व कार्यादेश जारी होने के पश्चात लोटाई जावेगी। निविदा सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल निविदादाता/ अनुबंधकर्ता द्वारा डी.डी. द्वारा जमा कराई गई निविदा सुरक्षा (Bid Security) को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) मे भी समायोजित की जा सकती है।

(IV) Code of Integrity

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(V) Conflict of Interest

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(VI) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)

आर.टी.पी.पी. एक्ट मे के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम प्रबंध निदेशक

4. **मध्यस्थता उप नियम (Arbitration Clause)**

1. निगम बोर्ड के सकंल्प 28/17 दिनांक 16.08.2017 के अनुसार इस अनुबंध के सम्बंध मे किसी भी विवाद की स्थिति में मामला प्रारंभिक स्तर पर निगम की स्थाई समिती को अग्रेशित किया जावेगा जो कि निम्नानुसार हैः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक	अध्य़क्ष
2. वित्तीय सलाहकार	सदस्य
3. सम्बधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
4. कार्यकारी निदेशक (विधि)	सदस्य
5. सम्बंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी	सदस्य सचिव

सम्बंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी दावा याचिका प्राप्त होने पर दावा राशि की 2 प्रतिशत राशि शुल्क के रुप में दावेदार से प्राप्त कर दावा स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगे स्थाई समिति दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दस्तावेजो के आधार पर निर्णय लेगी जो कि दोनो पक्षो को समिति के सदस्य सचिव द्वारा अवगत करा दिया जावेगा।

2. मध्यस्थता व समझौता अधिनियम 1996 व इसके संशोधन मे वर्णित नियम व प्रावधान अनुसार (as per Indian arbitration and conciliation act of 1996 or latest amendment if any)

3. सभी न्यायिक प्रक्रिया यदि आवश्यक हो , का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

5. **भुगतान (Payment)**

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा। इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

6. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने है।

(i) MANDATORY DOCUMENTS

1. टेण्डर फीस की डी.डी.
2. अमानत राशि की डी.डी. व बैंक गारण्टी
3. प्रोसेसिंग फीस की डी.डी

(i) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्ते (हस्ताक्षरित)
2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रपत्र(प्रतिलिपि)
3. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
4. दिवालियापन न होने का घोषणा पत्र
5. ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र
6. आर.टी.पी.पी. एक्ट के भाग 7 एवं 11 का घोषणा पत्र
7. नवीनतम वार्षिक बेलेसंशीट या वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र (सी.ए.द्वारा प्रमाणित)

7. तकनिकी निविदा के स्वीकार होने पर ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी।

8. दरे बी.ओ.क्यू (BOQ – bill of quantity) मे सलंग्न प्रारुपानुसार में देनी होगी।

नियम एवं शर्ते

1. नवनिर्मित भवन(प्लेटफार्म नम्बर 01) के सम्पूर्ण भवन परिसर पर स्थित प्लेटफार्म, भवन के चारों तरफ स्थित बरामदें, गलियारें, चारों तरफ का सड़क मार्ग, भवन का भू–तल पर स्थित समस्त बुकिंग घर, समस्त प्रवेश एवम् निकास द्वार, प्रतिक्षालय हॉल, वी.वी.आई.पी हॉल, समस्त शौचालय–मुत्रालय, नवनिर्मित भवन की समस्त नालियों, ड्रेनेज सिस्टम, भवन के समस्त कांच के दरवाजों, शीशे, समस्त पीलर, भवन के द्वितीय तल पर स्थित रूफ टॉप, भवन की छत की साफ–सफाई व्यवस्था मशीन एवम् वैक्यूम क्लीनर के द्वारा एवम् जहॉ मशीन एवम् वैक्यूम क्लीनर द्वारा सफाई नहीं कि जा सकती है वहॉ सफाई कर्मचारी लगाकर सफाई कार्य करवाया जायेगा। साफ–सफाई कार्य तीनो पारियो में किया जायेगा। जिसके लिये तीनो पारियो में पर्याप्त मशीन एवम् सफाई अनुरूप कर्मचारी कार्यरत रहेंगें।
2. निविदादाता जी.एस.टी. पंजीकृत होना चाहिए एवम् विगत वर्ष में राशि रू. 480000/– से अधिक का टर्नओवर का होना आवश्यक है। जिसका प्रमाणिक प्रमाण पत्र निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. सफाई कार्य हेतु पारी समय 06:00–14:00, 14:00–22:00, 22:00–06:00 निर्धारित रहेगा। सफल निविदादाता को प्रथम पारी में 03 कार्मिक, द्वितीय पार में 02 एवम् तृतीय पारी में 01 कार्मिक उपलब्ध करवाने होगें। प्रथम एवम् द्वितीय पारी में दो बार (एक बार फिनाईल का तथा एक बार सादा) तथा तृतीय पार में एक बार पौंछा लगेगा।
4. प्रत्येक दिन में एक बार प्लेटफॉर्म की धुलाई की जावेगी, एवम् आवश्कतानुसार निर्देश दिए जाने पर एक से अधिक बार भी धुलाई करनी होगी।
5. एक दिन छोडकर एक दिन नवीन भवन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर नालियो में किटाणुनाशक का छिडकाव किया जावेगा साथ ही प्रत्येक सप्ताह में एक बार नवीन भवन की की छत एवम् उसके ड्रेनेज पाईप की भी सफाई करनी होगी।
6. सम्पूर्ण नवीन भवन में स्थित प्रत्येक प्लेटफार्म पर लगे हुए वाटर कुलर की वॉश बेसिन, वाटर कूलर की छत, पानी की प्याऊ एवम् प्रत्येक बुकिंग खिड़की एवं आसपास की सफाई प्रत्येक पारी में एक बार आवश्यक रूप से की जायेगी
7. नवीन भवन के सम्पूर्ण भवन एवम् भवन में स्थित समस्त दुकानों, प्लेटफॉर्म, सुलभ काम्पलेक्स आदि का कचरा निगम परिसर से बाहर ले जाने/कचरे का निष्पादन करने की समस्त व्यवस्थाओं का सम्पूर्ण दायित्व सफल निविदा दाता का होगा। यदि प्रतिदिवस कचरे नहीं हटाया गया तो निगम द्वारा कचरा उठाने में यदि कोई व्यय किया जाता है तो लगने वाले व्यय के साथ–साथ राशि रू.500 प्रतिदिवस के हिसाब से शास्ति राशि वसूली योग्य होगी।
8. सफल निविदादाता को सफाई सम्बन्धित समस्त सामग्री जैसे फिनाईल पौछे, डस्टर, तेजाब, झाडू, साबुन, सौडा इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। निगम द्वारा किसी प्रकार की सामग्री, यंत्र इत्यादि नही दिये जावेगें। निगम द्वारा सफाई सम्बन्धित समस्त सामग्री रखने हेतु स्थान उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
9. प्रत्येक दिन धुलाई में लाया जाने वाला पानी निगम के पास होने पर निगम द्वारा दिया जावेगा अन्यथा सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर पानी लाना होगा।
10. सफल निविदादाता सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी को सबलेट नही कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
11. सफाई व्यवस्था के लिये सक्षम अधिकारियो (मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक(यातायात/प्रशासन/वित्त), केयर टेकर, सी.बी.एस डी.ओ.)द्वारा दिये गए समस्त आदेशो की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना विवाद के कार्य करना होगा।

12. साफ–सफाई कार्य हेतु उपयोग में ली जाने वाली सफाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर मशीन के समस्त प्रकार के रखरखाव, मरम्मत, देखरेख आदि का सम्पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा। सफाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर के खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सफल निविदादाता को स्वंय के स्तर पर करनी होगी। यदि सफाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर मशीन से साफ–सफाई कार्य नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन राशि रू. 1000/– शास्ति राशि (वैक्यूम क्लीनर मशीन दुरूस्त करवाकर पुनः साफ–सफाई कार्य प्रारम्भ करने तक) वसूली योग्य होगी।
13. सफल निविदादाता को सफाई कार्य 08 माह हेतु दिया जायेगा।
14. सफाई करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू हो जाती है अथवा अपंग हो जाता है तो उससे सम्बन्धित मुआवजे इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। राजस्थान परिवहन निगम किसी प्रकार से मददगार एंव जिम्मेदार नही होगा।
15. समस्त थूकदान–पीकदान एवम् कचरापात्र की नियमित रूप से सफाई करनी होगी एवं पीकदानो में मिट्टी का परिवर्तन सप्ताह में एक बार करना होगा। प्लेटफार्म के समस्त पीलर एकदम साफ रहे एवम् वहॉ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहे इस हेतु समस्त पिलरों की नियमित रूप से सफाई करना आवश्यक होगा।
16. नवीन भवन के समस्त शौचालयों–मुत्रालयों, कॉच के शीशों पर लगे हुए स्टीकर, बैनर आदि को नियमित रूप से हटाना होगा। नवीन भवन परिसर के चारों तरफ उगी झाड़ियों, पेड़ को नियमित रूप से हटाना आवश्यक होगा।
17. निगम बिना कारण बताए सफल निविदादाता को 15 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार निगम का होगा।
18. सफल निविदादाता को उसके कर्मचारियों की पी.एफ., ई.एस.आई आदि जो भी लागू हो वहन करना होगा तथा इससे सम्बन्धित पूर्ण रिकॉर्ड अपने स्तर से संधारित करते हुए रिकार्ड की प्रति मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस. आगार जयपुर कार्यालय को मासिक रूप से उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही मासिक देयक का भुगतान सम्भव होगा।
19. सफल निविदादाता को सफाई कार्य का देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा। जिस पर वर्णित अवधि में सफाई कार्य सन्तोष जनक किया गया, का प्रमाणीकरण ड्युटी आफीसर/केयर टेकर/मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस. आगार जयपुर कार्यालय द्वारा अधिकृत कार्मिक से कराना होगा तभी देयक का भुगतान किया जा सकेगा।
20. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी दिवस सफाई नही किये जाने पर उसका उस दिन का भुगतान नही किया जावेगा तथा प्रतिदिन राशि रू.2000/– शास्ति राशि वसूल की जावेगी। यदि 03 दिवस तक सफाई कार्य बिना किसी पूर्व सूचना/उचित कारण के यदि नहीं किया जाता है तो अनुबन्ध समाप्त करने का परिवहन निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
21. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध राशि का 05 प्रतिशत बतौर सुरक्षा राशि का डी.डी/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी निगम कोष में जमा करानी होगी।
22. सफल निविदादाता यदि समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो तीस (30) दिवस पूर्व निगम को लिखित में नोटिस देना होगा। बगैर नोटिस के अनुबन्ध तोडने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. सफल निविदादाता किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नही रखेगा जो कि फैलने वाली किसी बीमारी से ग्रसित हो।
24. सफल निविदादाता द्वारा अपने कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के नाम एव ंपते सहित सूचना मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी तथा सूची में अंकित व्यक्ति ही उक्त स्थान पर कार्य करने के लिए अधिकृत होगें। कर्मचारी बदलने पर उसकी सूचना मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी।
25. सफल निविदादाता अथवा उसके द्वारा कार्यरत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगें कि वे साफ सुथरे एवम् निर्धारित गणवेश में रहे तथा अन्य यात्रियों की शालीनतापूर्वक सेवा करने को तत्पर रहें। गणवेश में नहीं पाए जाने पर राशि रू.1000 प्रति कर्मचारी शास्ति स्वरूप वसूली योग्य होगी। सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मचारी आगारीय कमेटी द्वारा सफाई कर्मचारियों हेतु निर्धारित गणवेश(निर्धारित गणवेश, नाम पट्टीका, एप्रीन) में ही सफाई कार्य करने हेतु बाध्य होगें।

गणवेश की व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा स्वंय के व्यय पर की जायेगी जिसके लिए निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान सफल निविदादाता को नहीं किया जायेगा।

26. सफल निविदादाता अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नही आवेगा। ऐसा पाए जाने पर उक्त कर्मचारियों को भविष्य में सफाई कार्य करने से सदैव के लिए निष्काषित करना होगा एवम् सफल निविदादाता से सेवा दोष के तौर पर बतौर शास्ति राशि रू.2000/– वसूली योग्य होगी।

27. सफल निविदादाता को सफाई कार्य हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क जो किसी भी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान अपने स्तर से नियमानुसार समय पर करेगा। सफल निविदादाता पर लागू लाईसेंस अथवा परमिट आदि लेने की आव यकता हो तो वह स्वंय ही जिम्मेदारी पर देय फीस भुगतान कर प्राप्त करेगा।

28. सफल निविदादाता पर नोटिस की तामिल पूर्ण समझी जावेगी, यदि कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा सामान्य/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है। यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये पते में कोई परिवर्तन होता है तो सफल निविदादाता को आगार के मुख्य प्रबन्धक को लिखित/रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिवर्तित पते से सूचित करना होगा।

29. अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने अथवा निगम द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों पर लाईसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी को निगम के परिसर में प्रवेंश करने और किसी प्रकार का व्यापार/कार्य करने को कोई अधिकार नही होगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो बिना अधिकार के अतिक्रमण करने वाला अतिचारी होगा जो कि अपराधिक अतिचार के अपराध से दण्डित किये जाने का उत्तरदायी होगा।

30. अनुबन्ध की इन शर्तों से सफल निविदादाता के पक्ष में इस परिसर के संबंध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नही होगा।

31. यदि निगम की संपत्ति को कोई नुकसान सफल निविदादाता अथवा उसके ऐजेन्ट या कर्मचारी की असावधानी या लापरवाही से हुआ है तो ऐसी सूरत में सफल निविदादाता निगम को उस नुकसान का हर्जाना अदा करेगा। ऐसे नुकसान की गणना निगम के मुख्य प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता (सिविल) अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसकी गणना के लिए खर्चे की गई राशि की अदायगी का दायित्व सफल निविदादाता का होगा। उपरोक्त अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी तथा सफल निविदादाता पर बाध्यकारी होगी।

32. अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर/निगम की कोई बकाया नही होने की स्थिति में एक माह की भीतर सफल निविदादाता को उसकी जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। यदि निगम और अनुज्ञापत्रधारी के मध्य अनुज्ञापत्र या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो निगम को उक्त धरोहर व सुरक्षा राशि अपने पास रखने का अधिकार होगा, जब तक की विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नही हो जावे।

33. जिस फर्म के पक्ष में अनुबन्ध जारी किया गया है उस फर्म को साफ–सफाई का कार्य अनुबन्ध जारी करने की दिनांक से 03 दिवस के भीतर–भीतर साफ–सफाई का कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि सफल निविदादाता ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा व जमा राशि निगम जब्त कर लेगा।

34. निविदा पत्र के साथ निविदा सुरक्षा राशि रू. 9600/– रूपये (अक्षरे नौ हजार नौ सौ रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद रसीद संलग्न एवम् निविदा प्रपत्र के बिन्दु संख्या 01 से बिन्दु संख्या 11 में चाही गई समस्त अहर्ताए अनिवार्य रूप से पूर्ण/संलग्न करनी होगी उक्त के अभाव में निविदा फार्म को निविदा में शामिल नहीं किया जायेगा। ठेका आवंटित होने पर ठेकेदार को दस दिवस में निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में निगम कोष में राशि रू. 24000/– जमा करानी होगी। सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकस चैक निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के अनुबन्ध अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध जारी होने के तीन दिवस के अन्दर सफाई कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर ठेका रद्द कर दिया जावेगा।

35. सफल निविदादाता द्वारा लगाए गए सफाई कर्मचारियों के विरूद्ध साफ–सफाई सही से नहीं करने सम्बन्धी शिकायत अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत के सत्यापन पर प्रति शिकायत राशि रू.500 वसूल की जायेगी। सफाई कार्य संतोषप्रद नहीं होने, सफाई के सम्बन्ध में 5 से अधिक शिकायत प्राप्त होने एवम् शिकायत का सत्यापन होने पर अनुबन्ध को समाप्त करते हुए धरोहर एवम् सुरक्षा राशि निगम हित में जब्त कर ली जायेगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

मुख्य प्रबन्धक

सी.बी.एस. आगार जयपुर।